अध्याय – I

सामान्य

अध्याय - I : सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2010-11 के दौरान झारखण्ड सरकार द्वारा सृजित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों, शुल्कों में राज्य का अंश एवं सहायता अनुदान तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों तक की अवधि के तत्संबंधी आँकड़े नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

क्रमांक		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
I.	**राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व**					
	• कर राजस्व	3,188.50	3,473.55	3,753.21	4,500.12	5,716.63
	• कर-भिन्न राजस्व	1,250.40	1,601.40	1,951.74	2,254.15	2,802.89
कुल		**4,438.90**	**5,074.95**	**5,704.95**	**6,754. 27**	**8,519.52**
II.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश	4,050.90	5,109.83	5,392.11	5,547.57	6,154.35
	• सहायता अनुदान	1,520.02	1,841.77	2,115.78	2,816.63	4,107.25
कुल		**5,570.92**	**6,951.60**	**7,507.89**	**8,364.20**	**10,261.60**
III.	**राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ (I एवं II)[1]**	**10,009.82**	**12,026.55**	**13,212.84**	**15,118.47**	**18,781.12**
IV.	**I से III की प्रतिशतता**	**44**	**42**	**43**	**45**	**45**

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 8,519.52 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 45 प्रतिशत था। शेष 55 प्रतिशत प्राप्तियाँ, वर्ष 2010-11 के दौरान, भारत सरकार से मिली।

---

1 पूर्ण विवरण के लिए कृपया सरकार के वर्ष 2010-11 के वित्त लेखे में विवरणी संख्या 11- लघु शीर्षवार राजस्व का विस्तृत लेखा देखें। मुख्य शीर्ष 0020- निगम कर, 0021- निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028 - आय एवं व्यय पर अन्य कर, 0032- सम्पत्ति पर कर, 0044- सेवा पर कर, 0037- सीमा शुल्क, 0038- संघीय उत्पाद शुल्क एवं 0045-वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क-लघु शीर्ष-901-निवल प्राप्तियों में राज्यों का समानुदिष्ट हिस्सा के अंतर्गत आँकड़े जो वित्त लेखा में 'क-कर राजस्व' में दिखाये गये है, को राज्य द्वारा सृजित राजस्व से हटाकर विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश में सम्मिलित कर इस विवरणी में दिखाया गया है।

1.1.2 नीचे की तालिका 2006-07 से 2010-11 तक की अवधि के दौरान सृजित कर राजस्व का ब्यौरा प्रस्तुत करती है:

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2009-10 की तुलना में 2010-11 में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता
1.	मू.व.क./ बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,556.90	2,845.88	2,996.20	3,597.20	4,473.43	(+) 24.36
2.	राज्य उत्पाद	129.62	156.86	205.46	322.75	388.34	(+) 20.32
3.	मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस	122.02	156.26	192.16	238.20	328.35	(+) 37.85
4.	वाहनों पर कर	218.27	135.67	201.57	234.21	312.37	(+) 33.37
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	45.14	76.47	43.47	46.87	53.50	(+) 14.15
6.	भू-राजस्व	36.35	26.26	53.33	41.28	130.65	(+) 216.50
7.	माल एवं यात्रियों पर कर-स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर	74.19	71.07	54.02	12.44	21.08	(+) 69.45
8.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	6.01	5.08	7.00	7.17	8.91	(+) 24.27
कुल		**3,188.50**	**3,473.55**	**3,753.21**	**4,500.12**	**5,716.63**	**(+) 27.03**

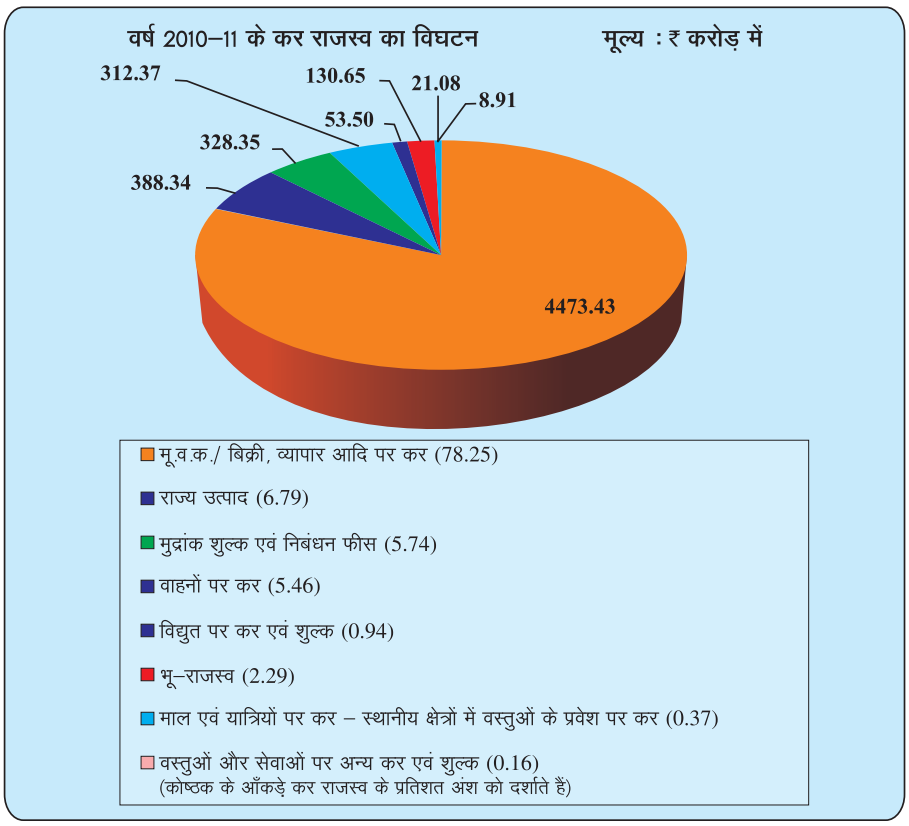

राजस्व के मुख्य शीर्षों से संबंधित वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2010-11 की प्राप्तियों में विचरण के निम्नलिखित कारण थे :

मू.व.क./बिक्री, व्यापार आदि पर कर: विभाग द्वारा 24.36 प्रतिशत की वृद्धि का कारण कर प्रशासन का बेहतर एवं प्रभावकारी अनुश्रवण बताया गया।

राज्य उत्पाद : 20.32 प्रतिशत की वृद्धि का कारण विभाग द्वारा नयी उत्पाद नीति का लागू होना बताया गया।

मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस : 37.85 प्रतिशत की वृद्धि का कारण सम्पत्ति के मूल्यांकन में वृद्धि होना बतलाया गया।

वाहनों पर कर : 33.37 प्रतिशत की वृद्धि का कारण निबंधित होने वाले वाहनों की संख्या में वृद्धि होना बताया गया।

1.1.3 नीचे की तालिका 2006-07 से 2010-11 तक की अवधि के दौरान सृजित कर- भिन्न राजस्व का ब्यौरा प्रस्तुत करती है:

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2009-10 की तुलना में 2010-11 में वृद्धि /कमी की प्रतिशतता
1.	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	1,022.12	1,177.77	1,477.94	1,733.15	2,055.90	(+) 18.62
2.	वानिकी एवं वन्य जीवन	3.68	4.06	7.20	3.57	4.76	(+) 33.33
3.	ब्याज प्राप्तियाँ	38.09	87.14	109.53	153.20	98.74	(-) 35.55
4.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	11.65	12.57	4.25	13.49	23.85	(+) 76.80
5.	अन्य	174.86	319.86	352.82	350.74	619.64	(+) 76.67
	कुल	**1,250.40**	**1,601.40**	**1,951.74**	**2,254.15**	**2,802.89**	**(+) 24.34**

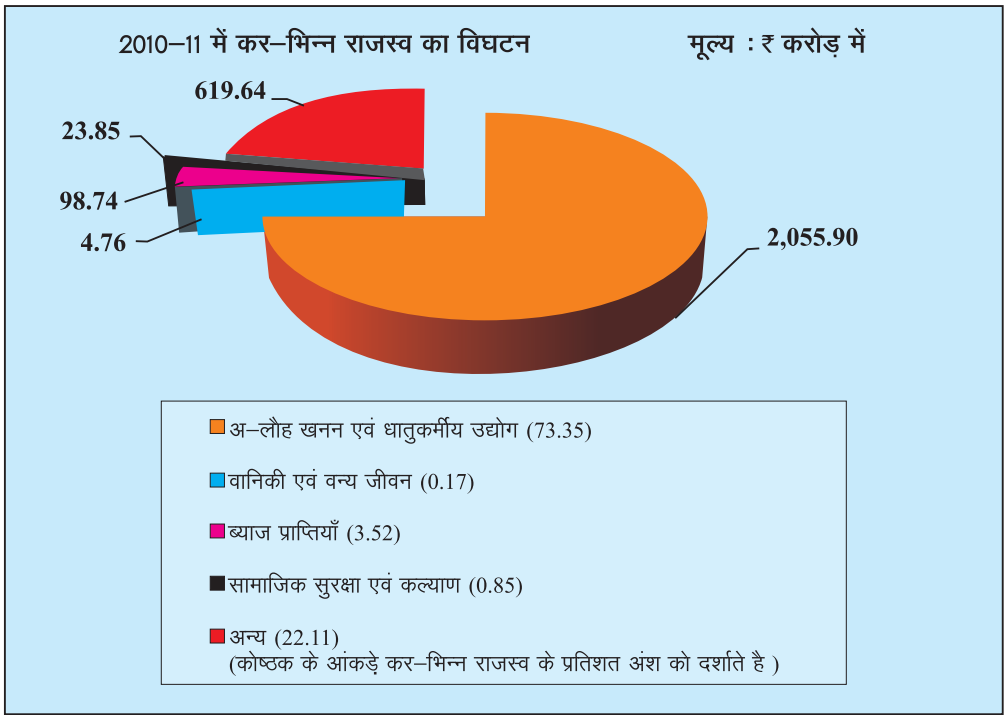

कर-भिन्न राजस्व के प्रधान शीर्षों से संबंधित वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2010-11 की प्राप्तियों में विचरण के निम्नलिखित कारण थे:

अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग: 18.62 प्रतिशत की वृद्धि का कारण विभाग द्वारा बेहतर नियंत्रण का होना बताया गया।

वानिकी एवं वन्य जीवन: 33.33 प्रतिशत वृद्धि का कारण बकाये की वसूली एवं जब्त वन उत्पाद तथा अर्थदण्ड के अधिरोपण से अन्य प्राप्तियों का होना बताया गया।

1.2 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया

1.2.1 उत्तरदायित्व प्रवर्तित करने तथा राज्य सरकार के हित की रक्षा करने में वरिष्ठ अधिकारियों की विफलता

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड (प्र.म.ले.) द्वारा सरकार के विभागों के लेन-देन की नमूना जाँच का सामयिक निरीक्षण संचालित कर यह सत्यापित करते हैं कि महत्वपूर्ण लेखों और अन्य अभिलेखों का संधारण निर्धारित नियमों और विधि के अनुसार किया जा रहा है। इन निरीक्षणों का अनुसरण निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) में जाँच के दौरान पाई गई अनियमितताओं, जिनका स्थल पर निराकरण नहीं किया जा सका, को शामिल कर निरीक्षित कार्यालय के प्रधानों को तथा उसकी प्रतियाँ उच्चाधिकारियों को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई हेतु भेजी जाती है। कार्यालयों के प्रमुख/सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अवलोकनों पर

तत्परता से अनुपालन किया जाना अपेक्षित है, विलोपन और त्रुटियों को सुधार कर प्रारंभिक उत्तर अनुपालन प्रतिवेदन के माध्यम से प्र.म.ले. को निरीक्षण प्रतिवेदन के जारी किये जाने की तिथि से एक माह के भीतर प्रतिवेदित करना है। गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की सूचना विभागाध्यक्षों और सरकार को प्रतिवेदित की जाती है।

दिसंबर 2010 तक निर्गत नि.प्र. की हमने समीक्षा की और पाया कि जून 2011 के अंत तक 1,998 नि.प्र. से संबंधित ₹ 11,500.30 करोड़ के राजस्व प्रभाव का 9,320 कंडिकाएँ लंबित थीं, साथ ही तत्संबंधी पूर्ववर्ती दो वर्षों के आँकड़े नीचे तालिका में दिए गये हैं:

(₹ करोड़ में)

	जून 2009	जून 2010	जून 2011
लंबित नि.प्र. की संख्या	2,803	2,166	1,998
लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	14,545	10,772	9,320
सन्निहित राशि	7,705.91	7,676.65	11,500.30

30 जून 2011 को विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विस्तृत विवरण तथा इसमें सन्निहित राशि नीचे वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित नि.प्र. की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राशि
1.	वाणिज्य कर	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/मू.व.क.	293	3,498	2,127.84
		प्रवेश कर	68	148	30.48
		विद्युत शुल्क	44	88	59.35
		मनोरंजन कर, इत्यादि	22	23	3.59
2.	उत्पाद एवं मद्य निषेद्य	राज्य उत्पाद	69	366	346.78
3.	राजस्व	भू-राजस्व	593	1,017	1,518.84
4.	परिवहन	वाहनों पर कर	125	793	411.77
5.	मुद्रांक एवं निबंधन	मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस	99	310	3,420.04
6.	खान एवं भूतत्व	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	273	2,192	1,873.70
7.	वन एवं पर्यावरण	वानिकी एवं वन्य जीवन	290	743	1,642.51
8.	जल संसाधन	जल दर	122	142	65.40
कुल			**1,998**	**9,320**	**11,500.30**

निरीक्षण प्रतिवेदनों का प्रथम उत्तर उनके निर्गत होने की तिथि से एक महीना के अन्दर कार्यालय प्रधानों को प्रस्तुत करना अपेक्षित है परन्तु दिसम्बर 2010 तक निर्गत 505 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रारंभिक उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए थे। उत्तरों की अप्राप्ति के कारण नि.प्र. की वृहद् लंबनता दर्शाती है कि प्र.म.ले. द्वारा नि.प्र. में उठायी गई कमियों, चूकों तथा अनियमितताओं को सुधारने हेतु कार्यालय प्रधान एवं विभागाध्यक्ष ने कार्यवाही प्रारंभ नहीं की।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के शीघ्र एवं उपयुक्त निष्पादन हेतु एक प्रभावी प्रक्रिया संस्थापित कर सकती है साथ हीं विहित समय सारणी के अनुसार नि.प्र./ कंडिकाओं के उत्तर भेजने में विफल कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु उपयुक्त कदम उठा सकती है।

1.2.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) एवं नि.प्र. की कंडिकाओं के निष्पादन की प्रगति के अनुश्रवण एवं शीघ्र निपटाने के लिए सरकार लेखापरीक्षा समिति की स्थापना (विभिन्न समयावधि के अन्तर्गत) करती है। वर्ष 2010-11 में 12 अनुमोदित लक्ष्य के विरूद्ध 12 लेखापरीक्षा समिति की बैठकें हुई और निष्पादित कंडिकाओं का विवरण नीचे वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

राजस्व का शीर्ष	बैठकों की संख्या	निष्पादित कंडिका की संख्या	राशि
मू.व.क./ बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2	33	2.19
मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस	1	24	0.51
राज्य उत्पाद	1	42	56.44
वाहनों पर कर	1	374	129.79
भू-राजस्व	2	119	6.56
वानिकी एवं वन्य जीवन	3	256	195.04
अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	2	172	158.11
कुल	**12**	**1,020**	**548.64**

1.2.3 लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण

कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियों से संबंधित कार्यालयों की स्थानीय लेखापरीक्षा के कार्यक्रम अग्रिम में तैयार कर लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से सामान्यत: एक माह पूर्व विभाग को सूचना भेज दी जाती है ताकि विभाग संबंधित अभिलेखों को लेखापरीक्षा की संवीक्षा के लिए तैयार रखें।

वर्ष 2010-11 के दौरान हमें आठ कार्यालयों के 198 कर निर्धारण अभिलेखों को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं कराया गया। एसे मामलों के वर्षवार विवरण नीचे दिए गये है:

कार्यालय का नाम	वर्ष जिसमें लेखापरीक्षा किया जाना था	कर निर्धारण मामलें/अभिलेखों की संख्या जिन्हें लेखापरीक्षण हेतु मुहैया नहीं कराये गये
जिला खनन पदाधिकारी, चाईबासा	2010-11	05
वाणिज्य कर उपायुक्त (वा.क.उ.), राँची दक्षिणी अंचल	2010-11	07
उ.वा.क., जमशेदपुर नगरीय अंचल	2010-11	07
उ.वा.क., रामगढ़ अंचल	2010-11	50
उ.वा.क., चाईबासा	2010-11	06
उ.वा.क., कतरास	2010-11	114
उ.वा.क., चिरकुण्डा	2010-11	02
उ.वा.क., राँची विशेष	2010-11	07
कुल		**198**

1.2.4 प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विभागों का प्रत्युत्तर

बिहार सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों (1966), जैसा कि झारखण्ड सरकार पर लागू है, स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान उठाये गये लेखापरीक्षा आपत्तियों, निरीक्षण प्रतिवेदनों के निर्गत किये जाने के उपरांत संबंधित प्राधिकारियों द्वारा मंतव्य दिया जाना है। गंभीर अनियमितताओं से संबंधित अवलोकनों को प्रारूप कंडिकाओं में परिवर्तित किया जाता है तथा इसे संबंधित प्रशासनिक विभागों/सरकार को उनके उत्तर/मंतव्य छ: सप्ताह के अन्दर देने हेतु अग्रसारित किया जाता है। यदि उत्तर प्राप्त नहीं होते है या विभाग/सरकार द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं है, तो प्रारूप कंडिका लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल कर लिया जाता है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधायिका के पटल पर रखे जाने के बाद सरकार संबंधित कंडिकाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणी के साथ लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) को अग्रसारित करती है एवं जाँच के लिए प्रधान महालेखाकार (प्र.म.ले.) को अग्रसारित किया जाता है। विचार-विमर्श के उपरान्त लो.ले.स. कंडिकाओं के पूर्ण निष्पादन के लिए सरकार को छ: माह के अन्दर अनुपालन हेतु अनुशंसा करती है।

प्रतिवेदन में सम्मिलित उनतीस कंडिकाएँ एवं तीन समीक्षाओं को सरकार के संबंधित विभागों के सचिवों को सितम्बर 2011 में निर्गत स्मार सहित मई एवं सितम्बर 2011 के मध्य भेजी गई थी। अक्टूबर एवं नवम्बर 2011 के मध्य प्रारूप समीक्षाओं पर संबंधित विभागों के सचिवों के साथ विचार-विमर्श किया गया। सरकार से प्राप्त जवाबों को समुचित रूप से समीक्षाओं में शामिल कर लिया गया है; तथापि, अन्य मामलों में फरवरी 2012 तक सरकार की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

1.2.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्त्तन - संक्षेपित स्थिति

क्रमांक	को समाप्त हुए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	विधान मण्डल में उपस्थापित होने की तिथि	कंडिकाओं की संख्या	विचार-विमर्शित[2] कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की संख्या जिसका एक्सन टेकेन नोट प्राप्त नहीं हुआ है
1.	31 मार्च 2000	21.03.2002	36	20	34
2.	31 मार्च 2001	17.12.2003	35	8	33
3.	31 मार्च 2002	03.08.2004	27	7	27
4.	31 मार्च 2003	24.03.2005	42	9	42
5.	31 मार्च 2004	19.12.2005	31	4	31
6.	31 मार्च 2005	24.08.2006	29	1	29
7.	31 मार्च 2006	04.04.2007	27	4	27
8.	31 मार्च 2007	26.03.2008	36	7	36
9.	31 मार्च 2008	10.07.2009	42	1	42

[2] 2007-08 तक, 1999-2000 से 2007-08 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) में शामिल समीक्षाओं सहित 61 कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति (लो.ले.स.), झारखण्ड में विचार-विर्मश हुआ। चार कंडिकाओं पर की गई कार्यवाही टिप्पणी प्राप्त हुए हैं। लो.ले.स. ने अन्य कंडिकाओं के निष्पादन के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

क्रमांक	को समाप्त हुए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	विधान मण्डल में उपस्थापित होने की तिथि	कंडिकाओं की संख्या	विचार-विमर्शित[2] कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की संख्या जिसका एक्सन टेकेन नोट प्राप्त नहीं हुआ है
10.	31 मार्च 2009	13.08.2010	41	विचार विमर्श प्रारम्भ नहीं	-
11.	31 मार्च 2010	29.08.2011	26	विचार विमर्श प्रारम्भ नहीं	-

टिप्पणीः झारखण्ड की लो.ले.स. में विचार-विमर्श हेतु झारखण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत आनेवाले क्षेत्रों/जिलों का पुनगर्ठन के पूर्व की अवधि के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के विषय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय की सूचना लेखापरीक्षा को नहीं थी।

1.2.6 पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान सरकार/विभागों ने कुल ₹ 584.16 करोड़ के राजस्व प्रभाव के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित ₹ 3,363.53 करोड़ के कुल अवलोकनों में) जिसमें से 31 मार्च 2011 तक केवल ₹ 869.30 करोड़ की ही वसूली की जा सकी जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल राशि	स्वीकृत राशि	की गयी वसूली	
			वर्ष 2010-11[3]	2010-11 तक वसूली
2005-06	520.78	92.01	9.08	199.22[4]
2006-07	591.10	201.08	105.80	307.45[4]
2007-08	842.65	153.76	49.66	154.46
2008-09	1,171.03	88.57	94.66	194.21[4]
2009-10	237.97	48.74	13.96	13.96[4]
कुल	**3,363.53**	**584.16**	**273.16**	**869.30**

1.3 लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मुद्दों से संबंधित प्रणाली का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाये गये मुद्दों पर विभागों/सरकार की संबंधित प्रणाली के विश्लेषण के क्रम में **परिवहन विभाग** के प्रर्दशन से संबंधित स्थानीय लेखापरीक्षा में वर्ष 2002-03 से 2010-11 के दौरान तथा वर्ष 2002-03 से 2010-11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए गये मामलों का मूल्यांकन किया गया। अनुवर्ती कंडिकाओं 1.3.1 से 1.3.2.1 में हमारे विश्लेषण के परिणाम की चर्चा है।

[3] आँकड़े वाणिज्यकर, खनन एवं भूतत्व, परिवहन तथा राज्य उत्पाद एवं मद्य निषेध विभागों द्वारा प्रस्तुत आँकड़े/सूचनाओं पर आधारित है।

[4] यद्यपि स्वीकृत राशि ₹ 92.01करोड़, ₹ 201.08 करोड़ तथा ₹ 88.57 करोड़ क्रमशः वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा 2008-09 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के थे। सरकार ने मामले की समीक्षा एवं स्वीकार करने के बाद क्रमशः ₹ 199.22 करोड़, ₹ 307.45 करोड़ तथा ₹ 194.21 करोड़ की वसूली लेखापरीक्षा में इंगित मामलों में की।

1.3.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

2002-03 से 2010-11 के दौरान निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाओं की 31 मार्च 2011 तक की संक्षेपित स्थिति नीचे तालिका में सारणीबद्ध है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष			वर्ष के दौरान जोड़			वर्ष के दौरान निष्पादन			अंतिम शेष		
	नि.प्र.	कंडिका	मौद्रिक मुल्य	नि.प्र.	कंडिका	मौद्रिक मूल्य	नि.प्र.	कंडिका	मौद्रिक मूल्य	नि.प्र.	कंडिका	मैद्रिक मूल्य
2002-03	179	1,845	183.96	19	146	15.16	0	80	0.95	198	1,911	198.17
2003-04	198	1,911	198.17	17	126	17.27	0	64	0.61	215	1,973	214.83
2004-05	215	1,973	214.83	16	131	104.76	0	1	0.00	231	2,103	319.59
2005-06	231	2,103	319.59	22	182	101.42	0	13	10.27	253	2,272	410.74
2006-07	253	2,272	410.74	18	133	207.33	1	35	0.88	270	2,370	617.19
2007-08	270	2,370	617.19	15	87	36.97	1	12	2.10	284	2,445	652.06
2008-09	284	2,445	652.06	18	87	77.79	51	428	7.72	251	2,104	722.13
2009-10	251	2,104	722.13	13	73	20.74	87	911	35.69	177	1,266	707.18
2010-11	177	1,266	707.18	18	95	21.23	48	392	131.47	147	969	596.94

1.3.2 स्वीकृत मामलों में वसूली

वर्ष 2002-03 से 2010-11 के दौरान हमने ₹ 161.40 करोड़ के राजस्व प्रभाव के तीन निष्पादन समीक्षाओं सहित 53 प्रारूप कंडिकाओं को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किया। विभाग ने अब तक 48 कंडिकाओं में अर्न्तग्रस्त ₹ 154.19 करोड़ को स्वीकार किया है । तथापि, 2005-06 से 2010-2011 के दौरान विभाग ने ₹ 107.97 करोड़ स्वीकृत मामलों के विरूद्ध ₹ 2.69 करोड़ की वसूली की जो मात्र 2.49 प्रतिशत था । 2005-06 के पूर्व के वसूली की स्थिति अनुरोध के बावजूद सूचित नहीं किया गया।

हम अनुशंसा करते हैं कि वसूली कि स्थिति में सुधार के लिए सरकार समुचित कार्रवाई करे।

1.3.2.1 विभागों/सरकार द्वारा स्वीकार की गई अनुशंसाओं पर की गयी कार्यवाही

प्रधान महालेखाकार द्वारा संचालित प्रारूप निष्पादन समीक्षाओं पर जवाब देने के अनुरोध के साथ संबंधित विभागों/सरकार को अग्रसारित किए जाते हैं।

नवम्बर 2000 में झारखण्ड राज्य के गठन के बाद भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व प्राप्तियाँ) में परिवहन विभाग से सम्बन्धित तीन समीक्षाएँ प्रस्तुत की गयी जिसमें 12 अनुशंसाएँ प्रस्तावित थी, जैसा नीचे वर्णित है:

प्रतिवेदन का वर्ष	समीक्षा का विषय	की गयी अनुशंसाओं की संख्या
2002-03	सड़क परिवहन प्रबन्धन सूचना पद्धति पर सूचना प्रौद्योगिकी समीक्षा (निक्ट्रान)	02
2004-05	मोटर वाहन विभाग के कार्यकलाप	04
2010-11	परिवहन विभाग में कम्प्यूटरीकरण	06

समीक्षाओं में सम्मिलित अनुशंसाओं एवं निर्गमन सम्मलेन/आश्वासन मीटिंग में दिए गये आश्वासनों पर की गयी कार्रवाई/ की जाने वाली कार्रवाई के अनुश्रवण हेतु अपनायी गयी पद्धति से अवगत कराने हेतु सरकार/विभागों से अनुरोध (अक्टूबर 2011) किया गया था। इस सम्बन्ध में हमें विभाग से कोई जबाव प्राप्त नहीं हुआ है।

1.4 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अंतर्गत इकाई कार्यालयों को उसके राजस्व स्थिति, पिछले लेखापरीक्षा अवलोकनों की प्रवृत्ति तथा अन्य मानदण्ड के अनुसार उच्च, मध्यम तथा निम्न जोखिम इकाईयों में वर्गीकृत किए जाते है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम के विश्लेषण के आधार पर, जिनमें अन्य के अलावे सरकारी राजस्व के महत्वपूर्ण मुद्दे एवं कर प्रशासन यथा, बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग का प्रतिवेदन (राज्य एवं केन्द्र), कर सुधार कमिटी की अनुशंसायें, विगत पाँच वर्षों के दौरान राजस्व उद्ग्रहण का सांख्यिकी विश्लेषण, कर प्रशासन की विशेषतायें, पिछले पाँच वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा का आवृत क्षेत्र एवं इसका प्रभाव आदि के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

वर्ष 2010-11 के दौरान, संपूर्ण रूप से 560 लेखापरीक्षा योग्य इकाई थे जिसमें से वर्ष के दौरान 198 इकाईयों के लेखापरीक्षा की योजना बनाई गयी तथा 116 इकाईयों की लेखापरीक्षा की गई। इसके अलावे 10 इकाईयों को मात्र सिंचाई प्राप्तियों पर समीक्षा के उद्देश्य से अंगीकृत किया गया। विस्तृत विवरण नीचे तालिका में वर्णित है:

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	कुल इकाई की संख्या	2010-11 में योजना की गई इकाई	वर्ष 2010-11 में की गई लेखापरीक्षा
1.	मू.व.क./ बिक्री, व्यापार आदि पर कर	46	28	24
2.	वाहनों पर कर	27	22	19
3.	मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस	41	10	18[5]
4.	राज्य उत्पाद	23	19	19
5.	भू-राजस्व	270	35	00
6.	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	33	24	19
7.	वानिकी एवं वन्य जीवन	111	56	17
8.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	09	04	00
कुल		**560**	**198**	**116**

[5] यद्यपि वर्ष 2010-11 के दौरान मुद्रांक एवं निबंधन से सम्बन्धित 18 इकाईयों की लेखा परीक्षा की गयी परन्तु लेखापरीक्षा अवलोकनों को वर्ष 2009-10 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य राजस्व) झारखण्ड सरकार के कंडिका 6.3 ''सूचना प्रौद्योगिकी सहित मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस से प्राप्तियों'' पर समीक्षा में सम्मिलित की गयी

उपर्युक्त अनुपालन लेखापरीक्षा के अलावे, प्राप्तियों की कर प्रशासन की दक्षता की जाँच के लिए तीन निष्पादन समीक्षाओं का सम्पादन किया गया जैसा नीचे तालिका में दर्शाये गये है:

विभाग का नाम	समीक्षा का विषय
वाणिज्यकर	अर्न्तराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा प्रपत्रों का उपयोग
परिवहन	परिवहन विभाग में कम्प्यूटरीकरण
जलसंसाधन	वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से प्राप्तियाँ

1.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

1.5.1 वर्ष के दौरान की गई लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2010-11 के दौरान वाणिज्यकर, राज्य उत्पाद, मोटर वाहन, मुद्रांक एवं निबंधन फीस, विद्युत शुल्क, खान एवं भूतत्व, वन के 116 इकाईयों तथा मात्र समीक्षा के उद्देश्य से सिंचाई प्राप्तियाँ की 10 इकाईयों के अभिलेखों की हमारी संवीक्षा में 10,833 मामलों में कुल ₹ 1,369.85 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/ अल्पारोपण / क्षति उद्घटित हुआ । वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने वर्ष 2010-11 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित 7,632 मामलों में अन्तर्ग्रस्त ₹ 932.93 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया।

1.5.2 यह प्रतिवेदन

कर, शुल्क एवं ब्याज, अर्थदण्ड आदि के नहीं/कम आरोपण से सम्बन्धित ₹ 1,051.61 करोड़ के वित्तीय प्रभाव, जिसमें ₹ 653.95 करोड़ वसूलनीय है तथा शेष राशि ₹ 397.66 करोड़ अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों के अपालन के कारण सरकार को हुई सैद्धान्तिक परिहार्य क्षति को इस प्रतिवेदन से संबंधित तीन निष्पादन समीक्षाओं सहित 32 कंडिकाएँ (जैसा कि इस प्रतिवेदन के कंडिका 1.4 में वर्णित है) शामिल है। सरकार/विभागों ने ₹ 644.77 करोड़ से अर्न्तग्रस्त लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार कर लिया है। शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2012) ।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार स्वीकार की गयी राशियों की वसूली हेतु समुचित कदम उठाए तथा भविष्य में सैद्धान्तिक क्षति से बचने के लिए अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मार्ग-दर्शिका निर्गत करे।